जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 जनवरी,2019

सा.का.नि.33.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (मैकेनिक) भर्ती नियम, 2005 उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में मैकेनिक (अतिकुशल श्रेणी-I) और मैकेनिक (अतिकुशल श्रेणी-II) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, मैकेनिक (अतिकुशल श्रेणी-I) और मैकेनिक (अतिकुशल श्रेणी-II) समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों मे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता**— वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स मे स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.मैकेनिक (अतिकुशल श्रेणी-I)	55*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-5 (29200-92300रु)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे व्यक्ति जिन्होने मैकेनिक (अतिकुशल श्रेणी-II) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4(25500-81100 रु) में उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो । प्रशिक्षण: राष्ट्रीय भूमिगत जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर या कोई अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थान से मैकेनिक (अतिकुशल श्रेणी-I) के उन्नयन के लिए ड्रिलिंग और सहायक उपस्कर स्तर -2 के अनुरक्षण में दो सप्ताह का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से लिया हो । टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, उनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	**समूह 'स' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे:-** **1.** निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड -अध्यक्ष **2.** अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड -सदस्य **3.** अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. मैकेनिक (अतिकुशल श्रेणी-II)	55* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'स' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 4 (25500-81100 रु.)	चयन	(18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच) (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 1**: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम

					तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल या औटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री और वेधन रिग या आंतरिक दहन इंजन या वायु संपीडित या जेनेरेटर सेट्स या द्रवचलित उपस्कर या केन्द्रीय सरकार के वाहनों या राज्य सरकार या अन्य संगठन (कर्मचारी भविष्यनिधि खाता नं के साथ) में प्रचालन और अनुरक्षण में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव। अथवा (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल या औटोमोबाइल इंजीनियरिंग मे तीन वर्ष का डिप्लोमा और वेधन रिग या आंतरिक दहन इंजन या वायु संपीडित या जेनेरेटर सेट्स या द्रवचलित उपस्कर या केन्द्रीय सरकार के वाहनों या राज्य सरकार या अन्य संगठन (कर्मचारी भविष्यनिधि खाता नं के साथ) में प्रचालन और अनुरक्षण में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण –** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएँ के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्र सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:- ऐसे व्यक्ति जिन्होने तकनीकी प्रचालक (यांत्रिक) के रूप में जिसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु) में उस श्रेणी में आठ वर्ष कि नियमित सेवा की हो। प्रशिक्षण- राष्ट्रीय भूमिगत जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर या कोई अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थान मे मैकेनिक (अनिकुशल श्रेणी-II) के उन्नयन के लिए ड्रिलिंग और सहायक उपस्कर स्तर -2 के अनुरक्षण में दो सप्ताह का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से लिया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, उनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित , जिन्होने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उन्नतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**समूह 'स' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे:-** 1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड -अध्यक्ष 2. अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड -सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड -सदस्य **समूह 'स' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे:** **1.** निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड -अध्यक्ष **2.** अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड -सदस्य **3.** प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-31013/01/2017-सीजीडब्ल्यूबी]

एस. के. कटारिया, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 10th January, 2019

G.S.R.33.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board (Mechanic) Recruitment Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Mechanic (Highly Skilled Grade-I) and Mechanic (Highly Skilled Grade-II), in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Mechanic (Highly Skilled Grade-I) and Mechanic (Highly Skilled Grade-II), Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Mechanic (Highly Skilled Grade-I)	55*(2019) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-5 (Rs.29200-92300/-)	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Mechanic (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Director (Administration), Central Ground	Consultation with Union Public Service Commission is not

(Rs.25500-81100/-) with five years regular service in the grade. **Training.-**Two weeks training in maintenance of drilling and ancillary equipment-Level-2 is mandatory for up-gradation to Mechanic (Highly Skilled Grade-I) from National Ground Water Training and Research Institute, Raipur or any other national level institute. **Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying or eligibility.	Water Board – Chairman; 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board – Member; 3. Administrative Officer, Central Ground Water Board –Member.	necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Mechanic (Highly Skilled Grade-II)	55*(2019) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 (Rs.25500-81100/-)	Selection	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government from time to time). **Note 1 .-** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep. **Note 2.-** In case of recruitment made through the Employment

					Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Bachelor Degree in Mechanical or Automobile Engineering from the recognised University or Institute and minimum one year experience in operation and maintenance of Drilling Rigs or Internal Combustion Engines or Air Compressors or Generator sets or Hydraulic Equipment or Vehicles in Central Government or State Government or Other Organizations (with Employees Provident Fund Account Number); or (ii) Three years Diploma in Mechanical or Automobile Engineering from the Institute recognized by the Central Government or State Government and minimum three year experience in operation and maintenance of Drilling Rigs or Internal Combustion Engines or Air Compressors or Generator sets or Hydraulic Equipment or Vehicles in a Central or State Government or other organizations (with Employees Provident Fund Account Number). **Note .-** The qualification regarding experience is relexable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	No	Two years for direct recruits	Promotion failing which by direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Promotion: Technical Operator (Mechanical) in Level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900/-) with eight years regular service in the grade. **Training:** Two weeks training in maintenance of drilling and ancillary equipment-Level-2 is mandatory for upgradation to Mechanic (Highly Skilled Grade-II) from National Ground Water Training and Research Institute, Raipur or any other national level institute.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)consisting of:** 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman; 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board – Member; 3. Administrative Officer, Central Ground Water Board –Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman; 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board – Member; 3. Administrative Officer, Central Ground Water Board –Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years. Whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying or eligibility.		

[F. No. A-31013/01/2017-CGWB]

S. K. KATARIA, Under Secy.

संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2019

सा.का.नि.34.— केन्द्रीय सरकार, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण (सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी I एवं श्रेणी II पद) भर्ती नियम, 1967, जहां तक उनका संबंध उक्त नियम की अनुसूची के क्रमांक 7(क) पर सहायक मानवविज्ञानी (सांस्कृतिक मानवविज्ञान प्रभाग) और क्रमांक 13(क) पर अनुसंधान सहायक (सांस्कृतिक मानवविज्ञान) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण के सांस्कृतिक मानवविज्ञान प्रभाग में समूह 'ख' पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण (सांस्कृतिक मानवविज्ञान प्रभाग), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2019 है।

(II) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि .**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता .**— वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :-

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।